

TENDER DOCUMENT
निविदा दस्तावेज



FOR THE WORK
कार्य हेतु

विभागीय कार्यों के लिये सामग्री प्रदाय

कार्यालय,
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

कार्यालय, वन मंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र.


**वर्ष 2025-26 सामग्री प्रदाय हेतु
निविदा शर्तें**

भाग-1

- 1 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें।
- 2 यह निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 3 सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
- 4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	https://mptenders.gov.in पर प्रकाशन दिनांक व समय	
02	Document Sale Start Date		
03	Bid Submission Start Date		
04	Bid Submission End Date	26.09.2025	05:00 PM
05	Bid Opening Date	27.09.2025	05:00 PM

- 5 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदा आगामी कार्य दिवस पर 05:00 PM पर खोली जायेगी।
- 6 **प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये राशि 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) है तथा अमानत की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार रुपये मात्र) है, जिसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा। चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रु. 500 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सामग्री की सत्यंकार की राशि प्रत्येक सामग्री के लिये भाग-2 में दर्शित तालिका अनुसार राशि का एफ.डी.आर. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल कटनी के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के नियमानुसार अमानत व सत्यंकार की राशि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम व स्टार्टअप को छूट रहेगी।
- 7 **प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 8 **प्रक्रिया-3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।


(गौरव शर्मा)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

भाग-2

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. निविदाकार द्वारा यदि शासकीय संस्था हेतु उपयोगी निविदा में दर्शित सामग्री का प्रदाय किया हो, तो संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
 2. पिछले तीन ऐसेसमेंट वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
 3. पिछले दो ऐसेसमेंट वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) का जी.एस.टी. टैक्स रिटर्न जमा करने का चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 4. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-1 अनुसार)
 5. चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाणित टर्न ओव्हर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्न ओव्हर निविदा की गई सामग्री की अनुमानित निविदा मूल्य के दो गुने से कम नहीं होनी चाहिये। यदि औसत टर्न ओव्हर से छूट चाही गई है, तो फर्म का "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण-पत्र" (यह प्रमाण-पत्र निविदा में दी गई सामग्री की कैटेगिरी का हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 6. फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
 7. फर्म का एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र संलग्न करें। साथ ही यदि निविदाकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग है तो उसका एस.सी./एस.टी. का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
 8. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-2 अनुसार) संलग्न करें।
 9. निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही है, उस सामग्री का निविदाकार के पास होना चाहिये :-
 - (i) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव :-
 - (क) तीन समान कार्य जिसके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या
 - (ख) दो समान कार्य जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या
 - (ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदा दी गई है।

अथवा
 - (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, मध्य प्रदेश में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो, जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिये।
- यदि निविदाकार को अनुभव संबंधी शर्तों में छूट चाही गई है, तो फर्म का "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण-पत्र" (यह प्रमाण-पत्र निविदा में दी गई सामग्री की कैटेगिरी का हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- उक्त शर्तों के आधार पर अनुभव संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। अतः निविदाकारों को विगत 03 वर्षों में निविदा में दर्शित सामग्री के कार्य आदेश (मात्रा, दर एवं राशि सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 500/- वापसी योग्य नहीं है।

11. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मुख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हों, तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के "इंडियन पार्टनरशिप एक्ट" के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
12. इस निविदा की सामग्री कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
13. निविदा में दी गई दरों की अवधि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु होगी। उक्त दरों की अवधि आगामी टेण्डर होने तक बढ़ायी जा सकती है। परन्तु यह अवधि वर्ष 2025-26 के पश्चात् केवल तीन माह के लिये ही बढ़ायी जा सकती है।
14. चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर दिये जाने वाली सामग्री की निम्नानुसार धरोहर राशि का बैंक एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट वन मंडल अधिकारी सामान्य वनमंडल, कटनी के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
15. निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।
16. सभी निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे कटनी वन मंडल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना होगा। पूरा प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना होगा।
17. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।
18. **संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) -**
 1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदायें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी :-
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जायेगा और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा।
 - ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे, ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों की ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा।
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन के लिये संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल बोली के मामले में)।
 - ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधन नहीं किया जाना चाहिये।
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिये, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
 2. निविदा के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिये संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आँकड़े एक साथ जोड़े जायेंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
 3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
 4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यो) को अधिकृत करने वाले साझेदार की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुये समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है), जो निविदाकारों के लिये निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें :-

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

19. निविदाकार द्वारा कीटनाशक (20% क्लोरपायरीफास ई.सी.) शासन द्वारा लैब सर्टिफाईड ही प्रदाय करना होगा। यदि निविदाकार फर्म स्वयं निर्माता है तो फर्म का कीटनाशक संबंधी शासकीय लायसेंस दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि निविदाकार किसी अन्य कम्पनी का अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता है तो उस कम्पनी का कीटनाशक विक्रय संबंधी शासकीय लायसेंस दस्तावेज संलग्न करना होगा एवं उस कम्पनी द्वारा अपने लैटर पैड पर संलग्न प्रारूप-6 के अनुसार प्रमाण-पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. तकनीकी निविदा खुलने के पश्चात् एक भी निविदाकार निविदा की शर्तों के आधार पर पात्र नहीं पाया जाता है तो क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर बिना किसी निविदाकार को लाभ पहुँचाये निविदा की शर्तों में सरलीकरण किया जा सकता है।

क्र.	सामग्री का नाम	इकाई	धरोहर राशि	अनुमानित निविदा मूल्य
1.	कीटनाशक (20% क्लोरपायरीफास ई.सी.)	लीटर	15000	500000

21. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के भाग-1 वस्तुओं का उपार्जन के बिन्दु क्रमांक 23 अनुसार प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को प्राथमिकता हेतु प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
22. यदि निविदा की शर्तों एवं दिनोंक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> एवं वन विभाग की वेब-साईट www.mpforest.gov.in पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।



 (गौरव शर्मा)
 भा.व.से.
 वन मंडल अधिकारी
 सामान्य वनमंडल कटनी

भाग-3

निविदा की अन्य शर्तें

- 1 ग्राहक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या ग्राहक की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 2 सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, सामान्य वन मंडल कटनी म.प्र. के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जप्त किया जा सकेगा।
- 3 सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. द्वारा निरस्त किया जा सकता है, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी, उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 4 विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
- 5 सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके स्वयं के व्यय पर वापस मंगानी होगी। कोई भी सामग्री डुप्लीकेट या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट गारंटी रहेगी। निविदाकर्ता को सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में मांग किये जाने पर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6 उक्त सामग्री सामान्य वनमंडल, कटनी मध्यप्रदेश के परिक्षेत्र कटनी, बड़वारा, विजयराघवगढ़, रीठी, बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा के वन क्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए आदेश के अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।
- 7 सामग्री प्रदाय हेतु ई-निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8 निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग व्यय सहित होगी।
- 9 भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।
- 10 निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की सामग्री की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में निविदाकारों की आपसी सहमति पर सामग्री की मात्रा को विभाजित कर आदेशित किया जावेगा एवं निविदाकारों की आपसी सहमति न होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
- 11 स्वीकृत निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक न हों।
- 12 सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है, तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा।
- 13 निविदाकार को उक्त सामग्री कार्य आदेश मिलने के 30 दिवस के अन्दर प्रदाय किया जाना होगा। प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो।
- 14 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा।

- 15 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कोई फर्म शून्य/प्रतिफल उद्धत प्रतिफल या तो बेहद कम या बेहद उच्च है, जो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 16 निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/- रुपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
- 17 किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है, उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- 18 जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 19 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 20 दरें स्वीकृत होने पर Specification अनुसार बिल के साथ सामग्री प्रदाय किया जाना होगा।
- 21 सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार वनमंडल अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे, जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देना होगा।
- 22 तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक को निविदाकार/प्रतिनिधि वन मंडल कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। यदि निविदा खुलने की दिनांक में अपरिहार्य कारणों से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदाकार को ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।
- 23 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपरिथत होने पर सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।
- 24 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय सामान्य वनमंडल कटनी, मध्य प्रदेश का होगा।
- 25 समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र कटनी रहेगा।
- 26 **निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।**
- 27 किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमोंक/एफ.-2//2024-25/10-3/2776, दिनांक 20.09.2024 के नियमों का पालन किया जायेगा।


(गौरव शर्मा)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

अनुलग्नक - 1

प्रारूप : स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र
रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,

.....
जिला-..... (म.प्र.) ।

महोदय/महोदया,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में, घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी/फर्म निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और ना ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम :-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-
संगठन की मुहर :-

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक - 2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता मकान क्रमॉक :
- गली क्रमॉक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
4. कार्यालय का पता :
- गली क्रमॉक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :- एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/.....
- संख्या : दिनांक
- राशि :
- बैंक का नाम :
6. जी.एस.टी. नम्बर :
7. मोबाईल नम्बर :
6. ई-मेल आई.डी. :

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पिता/पति

घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण-पत्र

मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमंडल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमंडल के अन्दर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत हूँ।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 4
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र.

दिनांक

प्रति,

मेसर्स

.....

.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

प्रिय श्री,

उपर्युक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रु.में.)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

क. रुपये (अंको में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रुपयेकेवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी, जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक बैध होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा ।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक 5

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक को वनमंडल अधिकारी, जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडल अधिकारी, (म.प्र.) (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :-

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तारीख से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया गया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्तकी उपस्थिति में।

वनमंडल अधिकारी,
सामान्य वन मंडल कटनी
के बाध्यकारी हस्ताक्षर

प्रारूप-6

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
सामान्य वनमंडल कटनी (म.प्र.) ।

महोदय,

हमारी कम्पनी द्वारा (निविदाकार का नाम/ फर्म का नाम)
..... को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये कीटनाशक
(20% क्लोरपायरीफास ई.सी.) (निविदा स्पेसिफिकेशन अनुसार) आपको विक्रय करने के लिये
अधिकृत किया जाता है।

कम्पनी का नाम, हस्ताक्षर
एवं सील

यह प्रमाण-पत्र कम्पनी अपने लैटर पैड पर स्पष्ट अक्षरों में प्रस्तुत करें।